

ई-डिस्ट्रिक्ट के अन्तर्गत जारी-



उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला
तहसील
आवेदन क्र०
प्रमाणपत्र क्र०

संत कबीर नगर
घनघटा
15560030010782
560331503212


जारी दिनांक: 06/06/2015

प्रमाणित किया जाता है कि
पुत्र/पुत्री
माता का नाम
निवासी
गाम
तहसील
जिला

कृ. किरन साहनी
श्री सुगीम साहनी
श्रीमती शीला देवी
पोस्ट बरपरवा
बरपरवा
घनघटा
संत कबीर नगर



उत्तर प्रदेश राज्य की केवट/मल्लाह जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि **कृ. किरन साहनी** पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो ३० प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III दिनांक २० अक्टूबर २००२ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ में तथा विधिप छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।



जारी कर्ता केन्द्र:
पद:
स्थान
दिनांक:
हस्ताक्षर एवं मुहर



MEWA
LAL

Digitally Signed by MEWA
LN O=Personal,
C=IN,CN=MEWA LAL,
O=Uttar Pradesh

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार
डिजिटल हस्ताक्षरित
घनघटा, संत कबीर नगर
दिनांक: 06/06/2015

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिलिवरी सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है। सन्निधित केन्द्र के अधिकृत कर्मों द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <http://edistrict.up.nic.in> पर इसका पहले आवेदन क्र० फिर प्रमाणपत्र क्र० अंकित कर, मन्त्र-पत्र किया जा सकता है।